

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/

763

दिनांक -10-4-19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जोगाराम 2 राजूराम भीखाराम 3 भूरी भीखाराम 4 टीकूराम जोधाराम जाति जाट निवासी मोतियोणियों का तला, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर।	1 मूलाराम पुत्र उदाराम 2 हीराराम पुत्र अमराराम 3 थानाराम पुत्र तुलछाराम 4 भंवराराम पुत्र तगाराम 5 नगाराम पुत्र लाभूराम 6 पूनमाराम पुत्र जेहाराम 7 अमेदाराम पुत्र विशनाराम 8 नवलाराम पुत्र मूलाराम 9 जेताराम पुत्र रामजीराम 10 जोगाराम पुत्र तुलछाराम 11 गिरधारीराम पुत्र भगवानाराम 12 किशनाराम पुत्र धूड़ाराम जाति जाट निवासी मोतियोणियों का तला, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर।	
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 28/2019		दिनांक- 09.04.2019

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मौतियाणियों का तला पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 157 रकबा 02.15 बीघा, खसरा संख्या 734/126 रकबा 24.14 बीघा, खसरा संख्या 739/203 रकबा 05.00 बीघा कुल रकबा 32.06 व खसरा संख्या 201 रकबा 00.03 बीघा, खसरा संख्या 202 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 215 रकबा 0.14 बीघा, खसरा संख्या 737/167 रकबा 04.16 बीघा, खसरा संख्या 738/167 रकबा 08.13 बीघा, खसरा संख्या 740/203 रकबा 17.17 बीघा कुल रकबा 32.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2019/

764-767

दिनांक- 10-4-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जोगाराम पुत्र भीखाराम वगैराह जाति जाट निवासी मोतियोणियों का तला, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोगाराम पुत्र तुलछाराम वगैराह जाति जाट निवासी मोतियोणियों का तला, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर